समाचार विज्ञप्ति

COVID-19 प्रतिबंधों के चरण 1 में वापिस प्रवेश

06 अप्रैल 2021

पूरे प्रांत-भर में COVID-19 के बढ़ते हुए फैलाव को कम करने और अपनी स्वास्थ्य प्रणाली की रक्षा करने के उद्देश्य से एल्बर्टा अपने चार-चरणीय ढाँचे के चरण 1 में वापिस प्रवेश कर रहा है।

6 अप्रैल को रात 11:59बजे से खुदरा, फिटनेस और प्रदर्शन गतिविधियों के लिए नए, अनिवार्य स्वास्थ्य-संबंधी दिशानिर्देश प्रभावी होंगे। शुक्रवार, 9 अप्रैल को मध्याह्न से शुरू करके रेस्तराओं के लिए केवल टेकआउट, डिलीवरी और पेटियो में बैठकर भोजन करने की सेवाएँ प्रदान करने का प्रतिबंध प्रभावी होगा।

अगली सूचना जारी किए जाने तक एल्बर्टा में रेस्तराओं के लिए चरण 1 के प्रतिबंध लागू रहेंगे। स्वास्थ्य अधिकारी COVID-19 के फैलाव की निकटता से निगरानी करते रहेंगे, ताकि संक्रमण में गिरावट लाने के लिए अतिरिक्त कार्यवाही की आवश्यकता का आकलन किया जा सके।

"हम अपनी स्वास्थ्य प्रणाली और हजारों एल्बर्टावासियों के स्वास्थ्य को तीसरी लहर के खतरे से बचाने के लिए कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं। विशेषकर चिंताजनक रूपांतरों के कारण फैलाव के मामलों में तेजी से वृद्धि को रोकने की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण समय है। इन दिशानिर्देशों से हमें अतिरिक्त COVID-19 टीकों की आपूर्ति प्राप्त होने तथा टीकाकरण के प्रभावी होने के लिए कुछ समय मिल पाएगा, ताकि हम यथाशीघ्र और सुरक्षापूर्वक फिर से प्रतिबंधों में ढील देना आरंभ कर सकें।"
जेसन केनी, प्रीमियर

"रूपांतरों के बढ़ते हुए फैलाव का अर्थ है कि हमें अपनी स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता के संरक्षण और जीवन की रक्षा के लिए कड़े दिशानिर्देश लागू करने होंगे। हमें एल्बर्टावासियों का यथाशीघ्र टीकाकरण करने की अवधि में केवल कुछ ही समय के लिए इन नए, अनिवार्य स्वास्थ्य-संबंधी दिशानिर्देशों की आवश्यकता होगी।"
टायलर शैंड्रो, स्वास्थ्य मंत्री

"मैं एल्बर्टा में हाल में COVID-19 के बढ़ते हुए मामलों की वृद्धि को लेकर बहुत चिंतित हूँ। सभी एल्बर्टावासियों को इन अतिरिक्त दिशानिर्देशों को बहुत गंभीरता से लेना होगा; यह वायरस अत्यधिक संक्रामक है। हम केवल साथ-मिलकर काम करने के माध्यम से ही एक-दूसरे को सुरक्षित रख सकते हैं, फैलाव को कम कर सकते हैं और अपनी स्वास्थ्य प्रणाली का संरक्षण कर सकते हैं।"
डॉ. दीना हिनशॉ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य

चरण 1 प्रतिबंध

निम्नलिखित अनिवार्य जनस्वास्थ्य दिशानिर्देश 6 अप्रैल को रात 11:59बजे से लागू होंगे:

खुदरा

- खुदरा सेवाओं को अपनी क्षमता को न्यूनतम पाँच ग्राहकों की अनुमति के साथ अग्नि संहिता की 15 प्रतिशत उपस्थिति-सीमा तक प्रतिबंधित करना आवश्यक है।

    - कर्बसाइड पिकअप, डिलीवरी और ऑनलाइन सेवाओं को प्रोत्साहोत किया जाता है।

- शॉपिंग मॉलों की अधिकतम क्षमता अग्नि संहिता की 15 प्रतिशत उपस्थिति-सीमा तक प्रतिबंधित होगी।

इनडोर फिटनेस

- इनडोर फिटनेस गतिविधियों में केवल एक ही व्यक्ति-विशेष या एक ही घरबार के सदस्यों को केवल एक-के साथ-एक प्रशिक्षण में शामिल होने की अनुमति है (उदाहरण के लिए, नृत्य स्टूडियो में फिटनेस, बर्फ पर ट्रेनिंग फिगर स्केटिंग, एक-के साथ-एक सबक)।
- ड्रॉप-इन गतिविधियों या अनिरीक्षित व्यक्तिगत फिटनेस की अनुमति नहीं है।
- ऊँची या कम तीव्रता की सामूहिक फिटनेस गतिविधियों की अनुमति नहीं है।
- अधिकतम 10 लोगों के साथ आउटडोर शारीरिक गतिविधियों की अनुमति है, बशर्ते अलग-अलग घरबार के लोगों के बीच शारीरिक दूरी बनाई रखी जाए।

वयस्क प्रदर्शन गतिविधियां

- वयस्क प्रदर्शन गतिविधियों की अनुमति नहीं है। प्रदर्शन गतिविधियों में नृत्य, गायन, अभिनय, संगीत वाद्य-यंत्र का प्रयोग और किसी भी प्रकार का पूर्वाभ्यास या नाटकीय प्रदर्शन शामिल हैं।

निम्नलिखित अनिवार्य जनस्वास्थ्य दिशानिर्देश शुक्रवार, 9 अप्रैल को मध्याह्न से प्रभावी होंगे:

रेस्तरां, पब, बार, लाउंज और कैफे

- अब इनडोर, इन-पर्सन सेवाओं की अनुमति नहीं है
    - टेकआउट, कर्बसाइड पिकअप और डिलीवरी सेवाओं की अनुमति है।
    - आउटडोर पेटियो में बैठकर भोजन करने की भी अनुमति है। टेबलों और बैठकर भोजन करने वाले समूहों के बीच दो मीटर की दूरी होनी चाहिए, या उनके बीच बूंदों के फैलाव को रोकने में सक्षम अभेद्य अवरोध लगाए गए होने चाहिए।
    - केवल एक ही घरबार के सदस्य, या अकेले निवास करने वाले व्यक्ति के साथ उसके दो निकट संपर्क।
    - बैठकर भोजन करने वाले समूह के किसी एक व्यक्ति से संपर्क जानकारी एकत्र करनी होगी।

निम्नलिखित अनिवार्य जनस्वास्थ्य दिशानिर्देश बिना किसी परिवर्तन के प्रभावी रहेंगे:

उपासना स्थल

- सभी उपासना स्थलों में इन-पर्सन उपस्थिति अग्नि संहिता की अधिकतम 15 प्रतिशत उपस्थिति-सीमा तक प्रतिबंधित होना जारी रहेगी।
    - वर्चुअल या ऑनलाइन सेवाओं को पुरजोर प्रोत्साहित किया जाता है।
    - ड्राइव-इन सेवाओं की अनुमति होगी, जिनमें व्यक्ति-विशेष अपने वाहनों से बाहर नहीं निकलते हैं और मार्गदर्शन का पालन करते हैं, तथा ये सेवाएँ क्षमता प्रतिबंधों के अधीन नहीं हैं।

जनसमूह

- इनडोर सामाजिक जनसमूहों का निषेध जारी रहेगा।
- आउटडोर सामाजिक जनसमूहों के लिए अधिकतम 10 लोगों की उपस्थिति सीमा लागू है, बशर्ते शारीरिक दूरी और अन्य दिशानिर्देशों का अनुपालन जारी रखा जाए।

व्यक्तिगत और कुशलता सेवाएँ

- व्यक्तिगत और कुशलता सेवाएँ केवल एपॉइंटमेंट के साथ ही खुल सकती हैं। इनमें हेयर सैलून, नेल सैलून, मसाज, टैटू और पियर्सिंग शामिल हैं।
- फिजियोथेरेपी या एक्यूपंक्चर, सामाजिक या सुरक्षात्मक सेवाएँ, संवेदनशील व्यक्तियों के आश्रय, आपातकालीन सेवाएँ, बाल देखभाल, और गैर-लाभकारी सामुदायिक या धर्मार्थ किचन समेत स्वास्थ्य सेवाएँ व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए खुली रह सकती हैं।

बच्चों के इनडोर और आउटडोर खेल एवं प्रदर्शन

- अब पाठ्यक्रम से संबंधित शैक्षिक गतिविधियों के समर्थन में K-12 स्कूलों और माध्यमिकोत्तर बच्चों की खेल एवं प्रदर्शन गतिविधियाँ ऑफ-साइट सुविधाओं का उपयोग कर सकती हैं, जैसे शारीरिक शिक्षण के सबक।
- इनडोर टीमों के मामूली खेल/गतिविधियाँ और स्कूल एथलेटिक्स जैसे अन्य सबक, खेलाभ्यास और कंडिशनिंग गतिविधियाँ आयोजित की जा सकती हैं, लेकिन गेम्स नहीं।
    - कोचों या प्रशिक्षकों के अलावा सभी प्रतिभागी 18 वर्ष या इससे कम आयु के होने चाहिए।
    - सभी कोचों, प्रशिक्षकों और प्रतिभागियों समेत अधिकतम 10 व्यक्ति।
    - प्रतिभागियों को हर समय एक-दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी।

COVID-19 के रूपांतरों पर आधारित मामलों और विकास के आकड़ों की निगरानी की जा रही है, तथा आगे बढ़ने के कदमों को रोकने या संभावित रूप से प्रतिबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता से संबंधित कोई भी निर्णय लेने में मार्गदर्शन के प्रयोजन से इन आकड़ों का उपयोग किया जाएगा।

एल्बर्टा सरकार COVID-19 महामारी की प्रतिक्रिया में वक्र को मोड़ने, छोटे व्यवसायों को कार्यरत बनाए रखने और एल्बर्टा की स्वास्थ्य-देखभाल प्रणाली की सुरक्षा के लिए सटीक उपायों के माध्यम से जीवन और लोगों की आजीविकाओं की रक्षा कर रही है।

संबंधित जानकारी

- जनस्वास्थ्य दिशानिर्देश
- आगे का मार्ग (चार-चरणीय ढाँचा)

मल्टीमीडिया

- समाचार सम्मेलन देखें
- आयोजन की तस्वीरें देखें *(आयोजन के बाद उपलब्ध होंगी)*

मीडिया पूछताछ

जेरिका गुडविन
587-988-3278
प्रेस सचिव, प्रीमियर कार्यालय (Press Secretary, Office of the Premier)

टॉम मैकमिलन
780-422-4905
सहायक संचार निदेशक, स्वास्थ्य (Assistant Director of Communications, Health)

और अधिक सरकारी अनुवादित संसाधनों के लिए कृपया यहाँ जाएँ: https://www.alberta.ca/covid-19-translated-resources.aspx